

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 675/2021

अनवान : -

1. रामचन्द्र पुत्र लिछीराम जाति जाट निवासी लालपुरा तहसील नोहर।

- वादी

बनाम

1. अमरजीत कौर पत्नी महेन्द्रसिंह जाति कम्मो साकिन सन्धोला तहसील पहेवा जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा।
2. कुलदीप सिंह पुत्र नरेन्द्रसिंह जाति कम्मो साकिन सन्धोला तहसील पहेवा जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा।
3. कलवीर सिंह पुत्र दीपसिंह जाति कम्मो साकिन सन्धोला तहसील पहेवा जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा।
4. चावली पत्नी लिछीराम जाति कम्मो साकिन सन्धोला तहसील पहेवा जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा।
5. जरनेलसिंह पुत्र मिलखासिंह जाति कम्मो साकिन सन्धोला तहसील पहेवा जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा।
6. जोगेन्द्र सिंह पुत्र हजारासिंह जाति कम्मो साकिन सन्धोला तहसील पहेवा जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा।
7. दुलीचन्द पुत्र लिच्छीराम जाति कम्मो साकिन सन्धोला तहसील पहेवा जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा।
8. धर्मपाल पुत्र लिच्छीराम जाति कम्मो साकिन सन्धोला तहसील पहेवा जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा।
9. प्रताप पुत्र गिरधारी जाति जाट साकिन लालपुरा तहसील रावतसर।
10. बनवारी पुत्र चेताराम जाति जाट निवासी सिरंगसर तहसील नोहर।
11. भूपेन्द्रसिंह पुत्र मिलखासिंह जाति कम्मो साकिन सन्धोला तहसील पहेवा जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा।
12. महेन्द्रसिंह पुत्र हजारासिंह जाति कम्मो साकिन सन्धोला तहसील पहेवा जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा।
13. रूपा पुत्र रेखा जाति दरोगा निवासी सिरंगसर तहसील नोहर।
14. राजाराम पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी लालपुरा तहसील रावतसर।
15. रोशनी पुत्री लिछीराम जाति जाट निवासी लालपुरा तहसील रावतसर।
16. लिखमेन्द्रसिंह पुत्र पूर्णसिंह जाति कम्मो साकिन सन्धोला तहसील पहेवा जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा।
17. विचित्रसिंह पुत्र नरेन्द्रसिंह जाति कम्मो साकिन सन्धोला तहसील पहेवा जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा।
18. विजयसिंह पुत्र लिछीराम जाति जाट निवासी लालपुरा तहसील रावतसर।
19. सुखदेवसिंह पुत्र मिलखासिंह जाति कम्मो साकिन माजरात तहसील फतेहाद।
20. सतनाम पुत्र हजारा जाति कम्मो साकिन सन्धोला तहसील पहेवा जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा।
21. हरदीपसिंह पुत्र नरेन्द्रसिंह जाति कम्मो साकिन सन्धोला तहसील पहेवा जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा।
22. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा

53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक: 26/08/2025

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा सिरंगसर तहसील नोहर के खाता स0 121/431 की कुल 21.4160 हैक्ट भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 21 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Rahul

वाद भूमि का खाता व लगान मुश्तरका रहने से आपस में सीव डोल आदि का झगड़ा बना रहता है तथा लगान के संबंध में तनाजात रहते हैं इसलिए मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के वादी अपना खाता व लगान अलग करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की विवादित भूमि का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के खाता एवं लगान तकसीम करवा ले तो कई दिन तक आजकल आजकल करते रहें आखिर इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

अतः वाद वादी घोषणा की जावें की रोही मौजा सिरंगसर तहसील नोहर के खाता स0 121/431 की कुल 21.4160 हैक्ट भूमि पक्षकारान के मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के अनुसार खाता व लगान अलग किया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 21 को सम्यक नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी ने वाद के समर्थन में जमाबंदी रोही मौजा सिरंगसर सम्वत 2074-77 खाता स0 121/431 पेश की जो की शामिल मिसल की गई। साक्ष्य वादी में वादी द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर पर जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही। वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा सिरंगसर तहसील नोहर के खाता स0 121/431 की कुल 21.4160 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है—


- 1 चावली देवी पत्नी लिछीराम, दुलीचन्द, धर्मपाल, रामचन्द्र विजयसिंह पि0 लिछीराम, रोशनी पुत्री लिछीराम बहिब जाति जाट सा0 लालपुरा खातेदार— ख0न0 223/1 की 1.6705 हैक्ट, ख0न0 232/1 की 0.240 हैक्ट कुल 1.9105 हैक्ट
- 2 प्रताप पुत्र गिरधारी जाति जाट सा0 लालपुरा खातेदार ख0न0 223/2 की 1.4035 हैक्ट, 224 की 3.125 हैक्ट, 230 की 0.152 हैक्ट कुल 4.6805 हैक्ट बारानी प्रथम
- 3 अमरजीत कौर पत्नी नरेन्द्रसिंह 0.213 हैक्ट, कुलदीप सिंह पुत्र नरेन्द्रसिंह 0.213 हैक्ट, वचित्रसिंह पुत्र नरेन्द्रसिंह 0.213 हैक्ट, हरदीपसिंह पुत्र नरेन्द्रसिंह 0.213 हैक्ट, जोगेन्द्रसिंह पुत्र हजारासिंह 0.851 हैक्ट, महेन्द्र सिंह पुत्र हजारासिंह 0.851 हैक्ट, लिखमेन्द्रसिंह पुत्र पूर्णसिंह 0.851 हैक्ट, कलवीरसिंह पुत्र दीपसिंह 0.851 हैक्ट, सतनामसिंह पुत्र हजारा सिंह 0.851 हैक्ट जाति कम्मो सा0 सन्धोला, जरनेलसिंह पुत्र मिलखासिंह 0.283 हैक्ट, भूपिन्द्रसिंह पुत्र मिलखासिंह 0.284 हैक्ट, सुखदेवसिंह पुत्र मिलखासिंह 0.284 हैक्ट जाति कम्मो साकिन माजरा तह0 फतेहाबाद रूपा पुत्र खेता 0.291 हैक्ट जाति दरोगा सा0

अध्यापक अधिकारी
बोर्ड
Lalul

सिरंगसर बनवारी पुत्र चेताराम 4.288 हैक्ट, राजाराम पुत्र लालचन्द 4.288 हैक्ट, जाति जाट सा0 देह खातेदार रहन बनवारी हि0 बैंक ऑफ इण्डिया शाखा हनुमानगढ़ राजाराम हि बैंक ऑफ इण्डिया शाखा हनुमानगढ़- ख0न0 208 की 1.935 हैक्ट, 216 की 1.164 हैक्ट, 217 की 1.442 हैक्ट, 218 की 3.681 हैक्ट, 219 की 0.379 हैक्ट, 232/2 की 1.835 हैक्ट, 346 की 0.455 हैक्ट, 347/1 की 3.352 हैक्ट, 348 की 0.582 हैक्ट कुल 14.825 हैक्ट

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 26/08/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई०ए०एस०)
प्रकरण संख्या - 675/2021

अनवान : -

1. रामचन्द्र पुत्र लिछीराम जाति जाट निवासी लालपुरा तहसील नोहर।

- वादी

बनाम

1. अमरजीत कौर पत्नी महेन्द्रसिंह जाति कम्मो साकिन सन्धोला तहसील पहेवा जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा।
2. कुलदीप सिंह पुत्र नरेन्द्रसिंह जाति कम्मो साकिन सन्धोला तहसील पहेवा जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा।
3. कलवीर सिंह पुत्र दीपसिंह जाति कम्मो साकिन सन्धोला तहसील पहेवा जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा।
4. चावली पत्नी लिछीराम जाति कम्मो साकिन सन्धोला तहसील पहेवा जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा।
5. जरनेलसिंह पुत्र मिलखासिंह जाति कम्मो साकिन सन्धोला तहसील पहेवा जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा।
6. जोगेन्द्र सिंह पुत्र हजारासिंह जाति कम्मो साकिन सन्धोला तहसील पहेवा जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा।
7. दुलीचन्द पुत्र लिच्छीराम जाति कम्मो साकिन सन्धोला तहसील पहेवा जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा।
8. धर्मपाल पुत्र लिच्छीराम जाति कम्मो साकिन सन्धोला तहसील पहेवा जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा।
9. प्रताप पुत्र गिरधारी जाति जाट साकिन लालपुरा तहसील रावतसर।
10. बनवारी पुत्र चेताराम जाति जाट निवासी सिरंगसर तहसील नोहर।
11. भूपेन्द्रसिंह पुत्र मिलखासिंह जाति कम्मो साकिन सन्धोला तहसील पहेवा जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा।
12. महेन्द्रसिंह पुत्र हजारासिंह जाति कम्मो साकिन सन्धोला तहसील पहेवा जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा।
13. रूपा पुत्र रेखा जाति दरोगा निवासी सिरंगसर तहसील नोहर।
14. राजाराम पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी लालपुरा तहसील रावतसर।
15. रोशनी पुत्री लिछीराम जाति जाट निवासी लालपुरा तहसील रावतसर।
16. लिखमेन्द्रसिंह पुत्र पूर्णसिंह जाति कम्मो साकिन सन्धोला तहसील पहेवा जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा।
17. विचित्रसिंह पुत्र नरेन्द्रसिंह जाति कम्मो साकिन सन्धोला तहसील पहेवा जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा।
18. विजयसिंह पुत्र लिछीराम जाति जाट निवासी लालपुरा तहसील रावतसर।
19. सुखदेवसिंह पुत्र मिलखासिंह जाति कम्मो साकिन माजरात तहसील फतेहाद।
20. सतनाम पुत्र हजारा जाति कम्मो साकिन सन्धोला तहसील पहेवा जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा।
21. हरदीपसिंह पुत्र नरेन्द्रसिंह जाति कम्मो साकिन सन्धोला तहसील पहेवा जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा।
22. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955


राजस्व वाद संख्या 675 सन 2021 निर्णय दिनांक 24/08/25 *Lalul* उपखण्ड अधिकारी
नोहर

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा सिरंगसर तहसील नोहर के खाता सा० 121/431 की कुल 21.4160 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है—

- 1 चावली देवी पत्नी लिछीराम, दुलीचन्द, धर्मपाल, रामचन्द्र विजयसिंह पि० लिछीराम, रोशनी पुत्री लिछीराम बहिब जाति जाट सा० लालपुरा खातेदार— ख०न० 223/1 की 1.6705 हैक्ट, ख०न० 232/1 की 0.240 हैक्ट कुल 1.9105 हैक्ट
- 2 प्रताप पुत्र गिरधारी जाति जाट सा० लालपुरा खातेदार ख०न० 223/2 की 1.4035 हैक्ट, 224 की 3.125 हैक्ट, 230 की 0.152 हैक्ट कुल 4.6805 हैक्ट बारानी प्रथम
- 3 अमरजीत कौर पत्नी नरेन्द्रसिंह 0.213 हैक्ट, कुलदीप सिंह पुत्र नरेन्द्रसिंह 0.213 हैक्ट, वचित्रसिंह पुत्र नरेन्द्रसिंह 0.213 हैक्ट, हरदीपसिंह पुत्र नरेन्द्रसिंह 0.213 हैक्ट, जोगेन्द्रसिंह पुत्र हजारासिंह 0.851 हैक्ट, महेन्द्र सिंह पुत्र हजारासिंह 0.851 हैक्ट, लिखमेन्द्रसिंह पुत्र पूर्णसिंह 0.851 हैक्ट, कलवीरसिंह पुत्र दीपसिंह 0.851 हैक्ट, सतनामसिंह पुत्र हजारा सिंह 0.851 हैक्ट जाति कम्मो सा० सन्धोला, जरनेलसिंह पुत्र मिलखासिंह 0.283 हैक्ट, भूपिन्द्रसिंह पुत्र मिलखासिंह 0.284 हैक्ट, सुखदेवसिंह पुत्र मिलखासिंह 0.284 हैक्ट जाति कम्मो साकिन माजरा तह० फतेहाबाद रूपा पुत्र खेता 0.291 हैक्ट जाति दरोगा सा० सिरंगसर बनवारी पुत्र चेताराम 4.288 हैक्ट, राजाराम पुत्र लालचन्द 4.288 हैक्ट, जाति जाट सा० देह खातेदार रहन बनवारी हि० बैंक ऑफ इण्डिया शाखा हनुमानगढ़ राजाराम हि बैंक ऑफ इण्डिया शाखा हनुमानगढ़— ख०न० 208 की 1.935 हैक्ट, 216 की 1.164 हैक्ट, 217 की 1.442 हैक्ट, 218 की 3.681 हैक्ट, 219 की 0.379 हैक्ट, 232/2 की 1.835 हैक्ट, 346 की 0.455 हैक्ट, 347/1 की 3.352 हैक्ट, 348 की 0.582 हैक्ट कुल 14.825 हैक्ट

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 26/08/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(राहुल श्रीवास्तव I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर